दिनांक 09.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 09/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना सरपतहाँ

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त घायल/इलाज के दौरान मृत**
- **01 अवैध पिस्टल 09 जीवित 10 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना सरपतहाँ, थाना शाहगंज, थाना खेतासराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत घेराबन्दी कर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जिसमें आरक्षी संजय कुमार सिंह घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कल्लू घायल हो गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 09 जीवित 10 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कल्लू को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कल्लू हिस्ट्रीशीटर अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, जौनपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत है। मृत अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कल्लू की गिरफ्तारी हेतु जनपद जौनपुर, अम्बेडकरनगर से 25–25 हजार रूपये व परिक्षेत्र अयोध्या से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरपतहाँ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>मृत अभियुक्त</u>

1– प्रशान्त उर्फ कल्लू निवासी अमरेथू डडिया थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर।।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध पिस्टल 09 जीवित 10 खोखा कारतूस।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

3–02 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद सम्भल/थाना रजपुरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना रजपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम दीपपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में आरक्षी नितिन देशवाल घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दिनेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रजपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 389/2019 धारा 392 भादवि आदि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रजपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी नूरपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद आजमगढ़/थाना दीदारगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.09.2021 की रात्रि थाना दीदारगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हैदराबाद बाजार के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अंकुश उर्फ

करन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दीदारगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अंकुश उर्फ करन निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजियाबाद/थाना मोदीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.09.2021 की रात्रि थाना मोदीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बखरूआ मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कपिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 855/2021 धारा 302/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कपिल निवासी बेगमाबाद थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **28 हजार 400 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना नई मंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—राशिद 2—सुहैल 3—जोनी को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 28 हजार 400 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद निवासी पिन्ना थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2–सुहैल निवासी नसीरपुर रोड थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

3–जोनी निवासी सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 05 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–28 हजार 400 रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

जनपद इटावा/थाना फ्रेंड्स कालोनी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **05 हजार 200 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामद**

दिनांक 08/09.09.2021 की रात्रि थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुनैरा तिराहे के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–शैलेन्द्र 2–नितिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 05 हजार 200 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 चार पहिया वाहन फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना फ्रेड्स कालोनी पर चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगो में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि कई चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेंड्स कालोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शैलेन्द्र निवासी कुनैरा थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा।

2—नितिन कुमार निवासी कुनैरा थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—05 हजार 200 रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

4—01 चार पहिया वाहन फर्जी नम्बर प्लेट सहित।

जनपद मथुरा/थाना नौहझील

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **16 हजार 600 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना नौहझील पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निषादराज तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—विवेक 2—लवकुश उर्फ शुभ उर्फ पोण्डा 3—हेमन्त उर्फ हेमू 4—आशू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 16 हजार 600 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2021 को थाना नौहझील क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौहझील पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौहझील पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक निवासी मुबारिकपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा।

2—लवकुश उर्फ शुभ उर्फ पोण्डा निवासी मुबारिकपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा।

3—हेमन्त उर्फ हेमू निवासी मुबारिकपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा।

4—आशू निवासी मुबारिकपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—16 हजार 600 रूपये नगद।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कोतवाली

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड 16 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 500 ग्राम अवैध चरस व 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 08.09.2021 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया के पास से मादक पदार्थ तस्कर राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड 16 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 500 ग्राम अवैध चरस व 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजीव कुमार निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 01 करोड 16 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 500 ग्राम अवैध चरस व 16 ग्राम अवैध स्मैक।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना डिबाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीमपुर दौराहे के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—रवि 2—ललित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हरियाणा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त ललित के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रवि निवासी मलकपुर थाना अनुपशहर जनपद बुलन्दशहर।

2—ललित निवासी दौका थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 270 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 09.09.2021 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एएनए रोड सदानन्द आश्रम के पास से मादक पदार्थ तस्कर नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 10 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 270 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नन्हे लंगडा उर्फ रियासत निवासी कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 270 ग्राम अवैध स्मैक।

➢ जनपद सीतापुर (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधियों की लगभग 51 लाख 12 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों 1—नरेन्द्र वर्मा निवासी नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर 2—लालू उर्फ शिवम निवासी कोटरा थाना बिसवां जनपद सीतापुर 3—सुफील उर्फ जहीर निवासी बसुदहा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 51 लाख 12 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एस0टी0एफ0– अन्तर्राज्यीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा मे हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांकः 08–09–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– सदीप गौरव पुत्र रोहतास गौरव निवासी बावली थाना बडौत, जनपद बागपत।

2– बाबू खाँ पुत्र स्व इस्माईल खाँ नि0 मौलाना आजाद नगर लाइन पार जमालपुर थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ मूल निवासी सैदापुर थाना मलावल जनपद एटा।

बरामदगी :–

1– 104 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (89 पेटी इम्परीयल ब्लू, 15 पेटी मैकडावल न0–1)

2– 01 अदद वाहन संख्या– UP13 BT 4872 अशोका लीलैड़

3– रू 750 नगद।

4– 01 अदद सैमसंग कीपैड मोबाइल।

5– 01 अदद आधार कार्ड।

6– 01 अदद फर्जी बिल्टी एअर रिसिवर टैंक।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

धनगर भवन के सामने कपसेटी बॉर्डर थाना जन्सा वाराणसी दिनांक 08–09–2021 समय 21:10 बजे।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं उत्तर प्रदेश के रास्ते अन्य राज्यों से संगठित गिरोहों द्वारा अवैध शराब की तस्करी/अवैध क्रय–विक्रय/अवैध परिवहन होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में डा0 राकेश कुमार मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 घनश्याम यादव के नेतृत्व मे मु0आ0 प्रताप नारायण सिंह, विनोद कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, आरक्षी राजेश पाल, शिव भोला शुक्ला, मुकेश प्रजापति की एक टीम द्वारा जनपद वाराणसी में मौजूद थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि एक बोलेरो पिकप सं0 UP13 BT 4872 अशोका लीलैड द्वारा फर्जी बिल्टी व फर्जी ई–वे बिल बनाकर उसके अन्दर एयर रिसिवर टैंक मे छुपाकर अवैध शराब हरियाणा से लायी जा रही है। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम के संयुक्त प्रयास से समय करीब 21.10 बजे वाहन सं0 UP13 BT 4872 को पकड़ लिया गया तथा उसमे सवार 02 अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि गाड़ी मालिक विनय कुमार और अन्य लोगों का संगठित गिरोह है विनय कुमार द्वारा पानीपत के ट्रान्सपोर्ट नगर से गाड़ी शराब लदवाकर हम लोगों को दे दिया जाता है तथा इसके द्वारा ही गुप्ता इन्टर प्राइजेज से अलग–अलग प्रकार की बिल्टी भी दी जाती है। हम लोग उनके बताये गये स्थान बिहार, झारखण्ड, गुजरात व अन्य जगहो पर गाड़ी पहॅुचा देते है। वहॉ पर कोई आदमी आकर गाड़ी ले जाता है और शराब उतरवाकर हमे गाड़ी वापस कर देता है। हम लोग पुनः अगली खेप लेने हरियाणा चले जाते है। अब तक 08–10 बार हम लोग अलग–अलग जगहो पर इसी गाड़ी से सप्लाई कर चुके है। इस बार शराब हम लोग झारखण्ड लेकर जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 161/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471/43/120 (B) भादवि थाना जन्सा जनपद वाराणसी पर पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————